संख्या-14/2018/317/तीस-4-2018-02(सा0)/18

प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2018

विषयः निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के सापेक्ष 01 अदद इनोवा क्रिएस्टा के क्रय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-38 स्टोर्स/इन्फ/2017-टीकवर/2012, दिनांक 18.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित एक वाहन यू0पी0 32-बीजी-2111 के प्रतिस्थापन हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के लिये एक माडल इनोवा क्रिएस्टा डीजल जी.ई.एम. रेट पर समस्त करों सहित धनराशि रूपया-13,16,889.57 (तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ नवासी रूपये सत्तावन पैसे) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों, वाहन की गुणवत्ता एवं Gem दर एवं Gem दरों की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-111/दस-2018, दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/
डा0 राकेश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-14/2018/317(1)/तीस-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 राकेश वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in